तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./2022/5569/प्रतापगढ़ **अमरसिंह बनाम सुनील कुमार**	

एकल–पीठ
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्री सी.पी. पाराशर, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक :– 22–8–2023

निर्णय

1– यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–230 सपठित धारा–221 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादडी के आदेश दिनांक 7–9–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पिता बहादुरमल की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ के समक्ष विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक खसरा नंबर 332 / 2ग के नवीन भू प्रबंध नंबर 340 रकबा 0.41 है0 कायम हुए, जिसमें वही इंद्राज खातेदारी का मौजूद है। साबिक के मुकाबले नवीन आराजी नंबर 340 का रकबा 0.72 है0 दर्ज होने के स्थान पर सैटलमेंट द्वारा मात्र 0.41 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज कर रखी है। उक्त सेटलमेंट द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी के रकबे को कम कर दिया, जिसे दुरूस्त करवाये जाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया। तहत न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। कुछ प्रतिवादीगणों की ओर से अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। दौराने विचाराधीन वाद प्रतिवादी संख्या 4 शोभालाल पिता कन्हैयालाल का देहांत दिनांक 27/11/2019 को हो गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 9 पुखराज पुत्र माणकलाल कोठारी का देहांत दिनांक 25/12/2020 को हो गया। चूंकि तत्समय देश में कोरोना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2022/5569/प्रतापगढ़** **अमरसिंह बनाम सुनील कुमार**	
	महामारी थी। जिसके कारण राजस्व न्यायालयों में कार्य स्थगित था। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रकार के प्रकरणों में कोरोना महामारी की समयावधि को कंडोन किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28/02/2022 तक सभी प्रकरणों में मियाद को कंडोन किये जाने के आदेश पारित कर दिये प्रार्थीगण/ वादीगण की ओर से मृतक प्रतिवादी संख्या 4 व 9 के कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का दिनांक 08/07/2021 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17/08/2022 द्वारा खारिज करते हुए संपूर्ण वाद को अबेट किये जाने के आदेश पारित कर दिये। तत्पश्चात अपने आदेश दिनांक 07/09/2022 के द्वारा पूर्व पारित आदेश को संशोधित करते हुए विचाराधीन वाद को प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्से तक अबेट किये जाने के गैर कानूनी आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/09/2022 न्याय नियम रिकॉर्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्तुत वाद मात्र राजस्व रिकॉर्ड में भू प्रबंध के दौरान जो प्रार्थीगण की खातेदारी का साबिक खसरा नंबर 332 / 2ग जिसके नवीन खसरा नंबर 340 रकबा 0.41 हेक्टैयर कायम किये। जबकि साबिक के मुकाबले नवीन आराजी नंबर 340 का रकबा 0.72 है0 दर्ज होना चाहिये था किन्तु बंदोबस्त द्वारा मात्र 0.41	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2022/5569/प्रतापगढ़** **अमरसिंह बनाम सुनील कुमार**	
	हैक्टेयर दर्ज कर दिया जो कि कुल 0.31 हेक्टैयर कम दर्ज किया गया, जिसे दुरुस्त करवाये जाने हेतु उक्त बाद प्रस्तुत किया गया था। यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद मात्र राजस्व रिकॉर्ड से साबित किया जाना है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तकनीकी आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध अबेट किये जाने में त्रुटि कारित की है। अतः पारित आदेश काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 9 की मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा दोनों मृतक प्रतिवादीगण के वारिसानों को रिक०र्ड पर लिये जाने का विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अबेटमेंट सेटएसाइड के लिये एवं मियाद के लिये भी प्रार्थना पत्र विधिवत प्रस्तुत किया गया था। यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि दोनों प्रतिवादीगण के वारिसानों को रिक०र्ड पर लिये जाने हेतु एक साथ आवेदन दिनांक 08/07/2021 को प्रस्तुत किये, जिसमें सद्भाविक कारण विलंब से उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने के उल्लेखित किये एवं सद्भाविक कारणों से अबेटमेंट को निरस्त किये जाने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बजाय दोनों आवेदनों का निस्तारण करने के मात्र प्रतिवादी संख्या 4 बाबत कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए पहले तो संपूर्ण वाद ही अबेट कर दिया तत्पश्चात अपने निर्णय को संशोधित करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 की हद तक वाद को अबेट कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 9 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेंडिंग रख दिया। ऐसी स्थिति में पारित आदेश कानूनी प्रक्रिया के विपरीत होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर मृतक प्रतिवादी संख्या 4 के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2022/5569/प्रतापगढ़** **अमरसिंह बनाम सुनील कुमार**	
	के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 नियत 9 धारा 151 सीपीसी समयावधि निकलने के पश्चात् पेश किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में पेशियां नियमित रूप से चल रही थी। प्रार्थी अनावश्यक रूप से कोरोना महामारी का लाभ उठाकर देरी को कण्डोन कराना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 व धारा 151 सीपसी को उचित रूप से खारिज किया है, समयावधि गुजर जाने के बाद वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने को उचित नहीं पाते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। 7– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादीगण के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु एक साथ आवेदन दिनांक 08/07/2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें सद्भाविक कारण विलंब से उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने के उल्लेखित किये एवं सद्भाविक कारणों से अबेटमेंट को निरस्त किये जाने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बजाय दोनों आवेदनों का निस्तारण करने के मात्र प्रतिवादी संख्या 4 बाबत कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए पहले तो संपूर्ण वाद ही अबेट कर दिया तत्पश्चात अपने निर्णय को संशोधित करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 की हद तक वाद को अबेट कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 9 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेंडिंग रख दिया। 8– प्रस्तुत निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी सं0–4 शोभालाल पुत्र कन्हैयालाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2022/5569/प्रतापगढ़** **अमरसिंह बनाम सुनील कुमार**	
	अंकित किया है कि शोभालाल की मृत्यु दिनांक 27-11-2019 को हुई है। इस संबंध में उल्लेखित है कि उक्त समयावधि के दौरान कोरोना महामारी की शुरूआत हुई थी तथा लगभग दो वर्ष तक न्यायालयों में कार्यवाही सही रूप से नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान सभी प्रकार के प्रकरणों में 28/02/2022 तक मियाद को कंडोन किया गया। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय एवं सभी न्यायालयों को कोरोना महामारी के दौरान न्यायालय की कार्यवाही में छूट प्रदान की गई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को नजरअंदाज कर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है। 9- उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादडी जिला प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/9/2022 को निरस्त किया जाता है और प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-22 नियम-4 सीपीसी वास्ते मृतक प्रतिवादी संख्या-4 के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। 10- उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादड़ी के समक्ष दिनांक 22-9-2022 को पेश हो। 11- इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली वापस भेजी जावें तथा पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	